



The Haryana Nurses and Nurse-Midwives Act, 2017

Act 3 of 2017

Keyword(s):

Council, State Nursing Institution, Nurse, Midwives

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 108-2017/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 22 जून, 2017
(31 ज्येष्ठ, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	1. हरियाणा नर्स तथा नर्स-सेविका अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3).	351-360
	2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11).	361-362
	3. पंजाब भू-राजस्व (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12).	363-365
	4. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 13).	366
	5. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14). (केवल हिन्दी में)	367
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग -I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जून, 2017

संख्या लैज. 3/2017 - दि हरियाणा नर्सिज एण्ड नर्स मिडवाइफज़ ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 14 जून, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3**हरियाणा नर्स तथा नर्स-सेविका अधिनियम, 2017**

हरियाणा राज्य में नर्सों, नर्स-सेविकाओं के पंजीकरण के लिए और प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के पंजीकरण और ऐसी संस्थाओं के लिए योग्यताएं विहित करने हेतु हरियाणा नर्स और नर्स सेविका परिषद् का गठन करने हेतु तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नर्स तथा नर्स-सेविका अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।
- (2) यह तुरन्त लागू होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "परिषद्" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा नर्स तथा नर्स-सेविका परिषद् ;
 - (ख) "कार्यकारी समिति" से अभिप्राय है, धारा 13 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारी समिति;
 - (ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (घ) "राजकीय नर्सिंग संस्था" से अभिप्राय है, राज्य में अवस्थित भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा यथा मान्यताप्राप्त नर्सिंग में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कोर्स प्रदान करने वाला कोई नर्सिंग विद्यालय या महाविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार या सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित है ;
 - (ङ) "संस्था" से अभिप्राय है, नर्स या नर्स-सेविका या दोनों के प्रशिक्षण के लिए परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था ;
 - (च) "नर्स" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो किसी संस्था द्वारा नर्सिंग में प्रदान किया गया कोई प्रमाण-पत्र रखता है और इसमें पुरुष नर्स भी शामिल होगा ;
 - (छ) "नर्सिंग कोर्स" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा यथा अधिसूचित नर्सिंग में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए कोर्स ;
 - (ज) "नर्स-सेविका" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो किसी संस्था द्वारा सामान्य नर्सिंग प्रसूति विद्या या सहायक नर्सिंग प्रसूति-विद्या में प्रदान किया गया प्रमाण-पत्र रखता है ;
 - (झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ;
 - (ञ) "प्राइवेट नर्सिंग संस्था" से अभिप्राय है, राज्य में अवस्थित भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा यथा मान्यताप्राप्त नर्सिंग में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कोर्स प्रदान करने वाला कोई प्राइवेट नर्सिंग विद्यालय या महाविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार या सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित नहीं है तथा इसमें सहायता-प्राप्त संस्था और असहायता-प्राप्त संस्था भी शामिल है ;
 - (ट) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, धारा 16 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार ;
 - (ठ) "विनियम" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम ;
 - (ड) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

परिभाषाएं।

परिषद् का गठन।

3. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, हरियाणा नर्स तथा नर्स-सेविका परिषद् के रूप में ज्ञात कोई निकाय इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उसको समनुदेशित कृत्य करने के लिए गठित करेगी।

(2) परिषद् इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन सम्पत्ति अर्जन, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति सहित शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा रखने वाली निगमित निकाय होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगी तथा उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

(3) परिषद् का मुख्यालय पंचकूला में होगा।

परिषद् की संरचना।

4. सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर परिषद् का गठन करेगी, अर्थात् :-

(i) महानिदेशक या निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष होगा ;

(ii) अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग, उपाध्यक्ष होगा ;

(iii) नर्सिंग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला का एक प्रतिनिधि अथवा नामनिर्देशिती पदेन सदस्य होगा ;

(iv) स्त्री रोग विज्ञान का विभागाध्यक्ष या आचार्य, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक पदेन सदस्य होगा ;

(v) स्त्री रोग विज्ञान का विभागाध्यक्ष या आचार्य, कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल पदेन सदस्य होगा ;

(vi) स्त्री रोग विज्ञान का विभागाध्यक्ष या आचार्य, शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नलहार, जिला मेवात पदेन सदस्य होगा ;

(vii) स्त्री रोग विज्ञान का विभागाध्यक्ष या आचार्य, भगत फूल सिंह राजकीय महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, जिला सोनीपत पदेन सदस्य होगा ;

(viii) प्रधानाचार्य, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक पदेन सदस्य होगा ;

(ix) परिषद् का रजिस्ट्रार सदस्य-सचिव होगा ;

(x) राजकीय नर्सिंग संस्थाओं के प्रधानाचार्यों या विभागाध्यक्षों में से तीन सदस्य ;

(xi) राज्य की प्राइवेट नर्सिंग संस्थाओं के संकाय से दो सदस्य ;

(xii) विज्ञान स्नातक नर्सिंग या पोस्ट बेसिक विज्ञान स्नातक नर्सिंग या विज्ञान स्नातकोत्तर नर्सिंग में न्यूनतम दस वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाला एक ख्यातिप्राप्त नर्सिंग शिक्षाविद्।

सदस्य की अयोग्यता।

5. कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए योग्य नहीं होगा, यदि वह,—

(i) अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ii) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है ;

(iii) परिषद् द्वारा किसी रीति में व्यवसाय में कुत्सित आचरण के लिए दण्डित किया गया है;

(iv) सरकार या किसी संस्था की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है;

(v) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए रजिस्टर से हटा दिया गया है;

(vi) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;

(vii) बासठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।

सदस्य की पदावधि।

6. (1) परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य की पदावधि, तिथि जिसको वह पद ग्रहण करता है से तीन वर्ष की होगी।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य तीन वर्ष की और अवधि के लिए या बासठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पुनः-नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा।

आकस्मिक रिक्ति।

7. (1) परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य के पद पर उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाने, निःशक्तता या अन्यथा के कारण होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भरी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, सदस्य जिसकी रिक्ति में वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, के पद की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

- 8.** परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य,— समाप्ति।
 (i) उसके त्यागपत्र देने पर ;
 (ii) परिषद् की तीन लगातार बैठकों से बिना सूचना के उसकी अनुपस्थिति पर ;
 (iii) धारा 5 के अधीन उसके किन्हीं अयोग्यताओं के अध्यक्ष होने पर, सदस्य के रूप में नहीं रहेगा।
- 9.** पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को लिखित में नोटिस देकर अपना पद किसी भी समय त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र ऐसी तिथि जिसको यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है, से प्रभावी होगा। त्यागपत्र।
- 10.** परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल निम्नलिखित आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी,— कार्यवाहियों की विधिमान्यता।
 (i) परिषद् के गठन में रिक्रिट या त्रुटि ;
 (ii) मामले की मैरिट को प्रभावित न करने वाला ऐसा कार्य या कार्यवाही में त्रुटि या अनियमितता।
- 11.** (1) परिषद् कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अनेक बार भी बैठक कर सकती है, जो इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक हो। परिषद् की बैठक।
 (2) अध्यक्ष, जब उपस्थित हो, तो परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा। उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले उपाध्यक्ष या सदस्य को अध्यक्ष की सभी शक्तियां होंगी।
 (3) अध्यक्ष, आदेश सुरक्षित रखेगा और बैठकों के सम्बन्ध में आदेश के सभी प्रश्नों का विनिश्चय करेगा। आदेश के किसी प्रश्न पर कोई भी चर्चा नहीं होगी और अध्यक्ष का आदेश के किसी प्रश्न पर निर्णय अंतिम होगा।
 (4) बैठक में कारबार के सभी संव्यवहार सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे।
 (5) अध्यक्ष, परिषद् के सदस्य के रूप में अपने मत के अतिरिक्त, मतों की समानता की दशा में द्वितीय या निर्णायक मत रखेगा।
- 12.** परिषद् की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या की एक-तिहाई होगी : गणपूर्ति।
 परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय से आधे घण्टे में, गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाला सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, दिन के ऐसे घण्टे या आगामी कुछ दिन और समय के लिए बैठक स्थगित करेगा जैसा वह नोटिस बोर्ड और परिषद् की वेबसाइट पर अधिसूचित करे। कारबार, जो मूल बैठक के समक्ष लाया जा सकता है, स्थगित की गई बैठक के समक्ष लाया जाएगा और ऐसी बैठक या उसके किसी पश्चात्पूर्ति स्थगन में निपटान किया जाएगा, चाहे गणपूर्ति पूरी है या नहीं।
- 13.** (1) परिषद् अपने सदस्यों में से जो आवश्यक हो, ऐसे कृत्य ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए, करने के लिए कार्यकारी समिति का गठन करेगी। कार्यकारी समिति का गठन।
 (2) कार्यकारी समिति पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें एक नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से होगा।
 (3) कार्यकारी समिति, परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो विनियमों द्वारा उनको प्रदत्त की जाएं/ किए जाएं।
- 14.** परिषद् ऐसे प्रयोजनों, जो परिषद् आवश्यक समझे, के लिए अपने सदस्यों में से उप-समितियां गठित कर सकती है। उप-समितियां।
- 15.** परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों के सम्बन्ध में उनकी उपस्थिति के लिए ऐसी फीस और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो विहित किए जाएं। फीस तथा भत्तों का भुगतान।

रजिस्ट्रार, अन्य
अधिकारी तथा
कर्मचारी।

- 16.** (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी।
(2) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का ढंग, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।
(3) परिषद् के सामान्य अधीक्षण तथा नियन्त्रण के अध्यक्षीन, रजिस्ट्रार परिषद् के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों और ऐसे अन्य कृत्य, जो परिषद् द्वारा, समय-समय पर, उसको समनुदेशित किए जाएं, करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(4) परिषद्, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो वह प्रशासन में उसकी सहायता के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकती है।
(5) परिषद् द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, वेतन तथा भत्ते, अनुशासन और सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

रजिस्ट्रारों का
रख-रखाव।

- 17.** (1) परिषद् ऐसे रूप में और ऐसे ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, रखने वाले अलग रजिस्ट्रारों को बनाए रखेगी।
(2) रजिस्ट्रार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 74 के अर्थ के भीतर लोक दस्तावेजों के रूप में समझे जाएंगे।

विघटन।

- 18.** (1) यदि किसी समय, सरकार को प्रतीत होता है कि परिषद् इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में असफल हो गई है या दुरुपयोग किया गया है या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किन्हीं कर्तव्यों को करने में असफल हो गई है, तो सरकार, यदि यह समझती है कि ऐसी असफलता, शक्ति का प्रयोग या दुरुपयोग गम्भीर स्वरूप का है, तो परिषद् को उसके ब्यौरे सूचित कर सकती है और यदि परिषद् ऐसी अवधि, जो सरकार इस निमित्त नियत करे, के भीतर शक्तियों का प्रयोग या दुरुपयोग करने में ऐसी त्रुटियों का उपाय करने में असफल रहती है, तो सरकार परिषद् का विघटन कर सकती है और ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी अवधि के लिए परिषद् की प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं अन्य शक्तियों तथा निर्वहन किए जाने वाले सभी या किन्हीं कर्तव्यों को करवा सकती है, जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् परिषद् की निधियां और सम्पत्तियां तब तक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार में निहित होंगी, जब तक धारा 3 के अधीन यथा उपबंधित नई परिषद् गठित नहीं की जाती है।
(2) जहां सरकार, उपधारा (1) के अधीन किसी परिषद् का विघटन करती है, तो यह ऐसे विघटन की तिथि से छह मास के भीतर धारा 3 के अधीन नई परिषद् के गठन के लिए कदम उठाएगी और ऐसी परिषद् के गठन पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति और निधियां, उस परिषद् में पुनः-निहित होंगी।

शक्तियां तथा
कृत्य।

- 19.** इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन, परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—
- (i) संस्थाओं की स्थापना के लिए मानदण्ड नियत करना;
 - (ii) संस्थाओं को मान्यता देना;
 - (iii) इस अधिनियम के अधीन संस्थाओं को प्रदान की गई मान्यता वापिस लेना;
 - (iv) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार बनाए रखना;
 - (v) धारा 24 के अधीन व्यक्तियों के नामों को हटाना;
 - (vi) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए योग्यताओं को मान्यता देना;
 - (vii) विनियम बनाना;
 - (viii) कार्यकारी समिति को इसकी शक्तियां प्रत्यायोजित करना;
 - (ix) संस्थाओं का निरीक्षण करना;
 - (x) फीसें नियत करना;
 - (xi) परिषद् की निधि का रख-रखाव करना
 - (xii) राज्य में विभिन्न संस्थाओं में दाखिले करना तथा ऐसे मानकों, सुविधाओं, पाठ्य-विवरण, सामूहिक प्रवेश टैस्ट इत्यादि सहित प्रवेश मानदण्ड विहित करना जो नर्सिंग कोर्स में उचित मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक समझे;
 - (xiii) भारतीय नर्सिंग परिषद् के अनुमोदन से सम्पूर्ण राज्य में सभी नर्सिंग कोर्सों के सम्बन्ध में थ्युरी, प्रैक्टिकल तथा आन्तरिक परीक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण, कोर्स विषय वस्तु, पाठ्यचर्या तथा परीक्षाओं के ढंग को एकरूप बनाना तथा समय-समय पर इसका पुनरीक्षण करना;

- (xiv) सभी डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कोर्सों हेतु अध्यापन अमले के लिए शैक्षणिक योग्यताएं नियत करना;
- (xv) सिवाय उनके जो अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित किए जाते हैं राज्य में सभी नर्सिंग कोर्सों के लिए थ्युरी तथा प्रैक्टिकल दोनों के लिए सामूहिक परीक्षा संचालित करना;
- (xvi) सामान्य मुद्रा के अधीन डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना;
- (xvii) थ्युरी तथा प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए फीस नियत तथा संगृहीत करना;
- (xviii) दाखिले के लिए नर्सिंग कोर्सों, पाठ्य-विवरण, शैक्षणिक मानकों का नियतकालिक पुनर्विलोकन करने तथा मानवशक्ति आवश्यकताओं के उभरते हुए क्षेत्रों के संदर्भ में पुराने कोर्सों को समाप्त करने, कोर्सों को आधुनिक बनाने या नए कोर्सों को आरम्भ करने के लिए सिफारिशों सहित उचित उपाय करना;
- (xix) राज्य में परीक्षा केन्द्र नियत करना;
- (xx) परीक्षाओं के संचालन के संबंध में प्रश्न-पत्रों को प्रकट करने, अंकों में हेर-फेर करने या किन्हीं अन्य ऐसी अनियमितताओं के रूप में अनाचार में संलिप्त परिषद् के अमले के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना;
- (xxi) किसी संस्था की मान्यता को वापस लेना यदि संस्था आन्तरिक मूल्यांकन अंकों, हाजरियों इत्यादि में अनियमितताओं सहित परीक्षा की प्रक्रिया के संदर्भ में अनाचार में संलिप्त पाई जाती है;
- (xxii) अमला, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के मानक निर्धारित करना;
- (xxiii) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित किया जाना है या किया जा सकता है।
- 20.** (1) परिषद् निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उप-विधियां बनाएगी, अर्थात्:— उप-विधियां।
- (क) ऐसी शर्तें विनियमित करने के लिए जिनके अधीन अन्य राज्यों में पंजीकृत ऐसी नर्स, नर्स-सेविकाएं, परिषद् के रजिस्टर पर पंजीकृत व्यक्तियों को पारस्परिक पंजीकरण प्रदान करने वाले ऐसे अन्य राज्य के रजिस्टर में प्रविष्ट की जा सकती हैं;
- (ख) रीति अवधारित करने के लिए जिसमें इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत सभी फीसों तथा परिषद् द्वारा प्राप्त किए गए सभी धन लेखों में लिए जाएंगे, संपरीक्षित किए जाएंगे तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तथा परिषद् के खर्च को विनियमित करने के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे।
- (2) परिषद् द्वारा बनाई गई कोई भी उप-विधि तब तक लागू नहीं होगी जब तक यह सरकार द्वारा अनुमोदित न की गई हो।
- (3) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी उप-विधियां राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी।
- 21.** निम्नलिखित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किए जाने के लिए हकदार होंगे, अर्थात्:— पंजीकरण के लिए पात्रता।
- (i) नर्स, नर्स-सेविकाएं जिन्होंने परिषद् द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के ऐसे कोर्स कर लिए हों, ऐसी परीक्षाएं पास कर ली हों तथा ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं, पूरी कर ली हों;
- (ii) भारत में अन्य राज्यों तथा विदेश में प्राधिकरणों द्वारा जारी समरूपी प्रमाण-पत्र रखने वाली नर्स, नर्स-सेविकाएं, यदि ऐसे प्रमाण-पत्र भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हों;
- (iii) नर्स, नर्स-सेविकाएं जो पहले से ही इस अधिनियम के प्रारंभ पर पंजीकृत हैं तथा ऐसी शर्तें जो विहित की जाएं, पूरी करती हों;
- (iv) ऐसी शर्तों के अध्येतृ तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाएं, के भुगतान पर, कोई व्यक्ति जो परिषद् की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध करता है कि वह किसी अन्य राज्य में नर्स या नर्स-सेविका के रूप में पंजीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन नर्स या नर्स-सेविका, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
- 22.** (1) धारा 21 के अधीन पंजीकरण के लिए पात्र प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा। पंजीकरण।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ किया जाएगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अतिरिक्त मान्यताप्राप्त योग्यता के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, का भुगतान करेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसका पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार किया जाता है, ऐसे अस्वीकार की तिथि से तीन मास के भीतर, परिषद् को अपील दायर कर सकता है तथा उस पर परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

पंजीकरण का नवीकरण।

23. (1) धारा 22 के अधीन किया गया प्रत्येक पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा पांचवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवीकृत करवाना होगा जिसमें असफल रहने पर व्यक्ति का नाम हटाया गया समझा जाएगा।

(2) नवीकरण फीस तथा जुर्माना, यदि कोई हो, के भुगतान पर, रजिस्ट्रार, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सम्बद्ध व्यक्ति को पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

रजिस्टर से हटाना।

24. (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन, जहां परिषद् सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद तथा ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, करने के बाद संतुष्ट हो जाती है, तो आदेश दे सकती है कि उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाए, यदि,—

(क) उसका नाम गलती से या दुर्व्यपदेशन या किसी तात्त्विक तथ्य को दबाने के कारण रजिस्टर में दर्ज किया गया है;

(ख) वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है या व्यवसाय में कुत्सित आचरण का दोषी हो गया है, जिसने परिषद् की राय में उसे रजिस्टर की सूची में अनुपयुक्त बना दिया है; या

(ग) यह प्रमाणित हो गया है कि प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा कपटपूर्ण ढंग या मिथ्या प्रमाण-पत्र के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश, निदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर से हटाने के लिए आदेश किया गया है, इस अधिनियम के अधीन या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए पंजीकरण हेतु अपात्र हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर, सरकार को अपील कर सकता है तथा सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) किसी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर से हटाया गया है, का पंजीकरण प्रमाण-पत्र अमान्य समझा जाएगा। ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार को प्रमाण-पत्र अभ्यर्पित करेगा, जिसमें असफल रहने पर सार्वजनिक नोटिस ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में प्रकाशित करवाया जाएगा।

मान्यता।

25. (1) कोई भी व्यक्ति, परिषद् द्वारा पूर्व मान्यता के बिना किसी मान्यताप्राप्त योग्यता को अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु कोई संस्था स्थापित नहीं करेगा या कोई नर्सिंग कोर्स संचालित नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रार को ऐसी फीस के साथ ऐसा प्ररूप, जो विहित किया जाए, में संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार ऐसा निरीक्षण करेगा तथा आदेश द्वारा मान्यता प्रदान करेगा या ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में मान्यता के लिए आवेदन को अस्वीकार करेगा।

(4) परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुरूप संस्था को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी जाएगी।

(5) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि को नर्सिंग कोर्स संचालित करने वाली सभी संस्थाएं, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर परिषद् को मान्यता के लिए आवेदन करेंगी। यदि मान्यता के लिए आवेदन करने वाली कोई संस्था इस संबंध में परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुरूप नहीं है, तो इस शर्त के अधीन कि परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुसार सुविधाएं, अस्थाई मान्यता देने की तिथि से परिषद् द्वारा नियत अवधि के भीतर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो उस संस्था को अस्थाई मान्यता दी जा सकती है।

(6) यदि कोई संस्था, परिषद् द्वारा नियत मानकों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है, तो धारा (5) के अधीन प्रदान की गई अस्थाई मान्यता तुरन्त वापस ले ली जाएगी।

26. (1) परिषद्, जैसा यह इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था का निरीक्षण करना आवश्यक समझे तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा अपेक्षित मानक अनुरक्षित किए जा रहे हैं, नियतकालिक निरीक्षण कर सकती है। निरीक्षण।

(2) रजिस्ट्रार या परिषद् द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या किए गए आदेश के उपबंधों द्वारा यथा प्राधिकृत जांच या निरीक्षण करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था के परिसरों में प्रवेश कर सकता है।

(3) किसी मान्यताप्राप्त संस्था का प्रबन्धक या कर्मचारी, ऐसी संस्था के परिसरों तथा सभी दस्तावेजों तथा सामग्रियों, जो परिषद् के ऐसे अधिकारियों की राय में इस धारा के अधीन उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उनको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, को सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी पहुंच अधिकारियों को देने के लिए बाध्य होगा।

(4) परिषद् को किसी मान्यताप्राप्त संस्था के शासकीय निकाय या प्राधिकरण से रिपोर्ट, विवरणियां या अन्य सूचना जैसा परिषद् को अपेक्षित हो, मांग करने की शक्ति होगी।

27. जहां परिषद् द्वारा जांच या निरीक्षण के आधार पर, यह संतुष्टि हो जाती है कि इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त संस्था, मान्यता के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करने में असफल हो गई है, तो आदेश द्वारा ऐसी मान्यता वापस ले सकती है: मान्यता वापस लेना।

परन्तु मान्यता की ऐसी वापसी से पूर्व, परिषद् सम्बद्ध संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

28. (1) परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त की गई सभी फीसों, सभी आय जैसे कि परिषद् में निहित सम्पत्तियों तथा निधियों से प्राप्त किया गया किराया तथा लाभ, सरकार से प्राप्त किए गए सभी अनुदान तथा ऋण, यदि कोई हों, किसी स्रोत से प्राप्त सभी धर्मदान तथा दान, सभी अन्य विविध प्राप्तियां तथा प्राप्त की गई रकम से, परिषद् की निधि बनेगी जो इस अधिनियम में अधिकथित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। निधि।

(2) परिषद् की निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक में जमा करवाई जाएगी, जैसा परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) निधि की अभिरक्षा, उसमें धन के भुगतान, उसमें से धन की निकासी तथा सभी अन्य अनुषंगी मामले ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में विनियमित किए जाएंगे।

29. परिषद् की निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात्:— निधि का उपयोग।

- परिषद् के कर्मचारियों, सदस्यों तथा अन्य पदधारियों के वेतन, भत्तों तथा खर्चों के भुगतान;
- किराया, बिजली, पानी तथा दूरभाष बिलों, नगरपालिका करों या किन्हीं अन्य सरकारी करों या बकायों सहित कार्यालय खर्चों के भुगतान;
- परिषद् के कार्यकलापों या राज्य में नर्सिंग शिक्षा को उन्नत करने के संबंध में उपगत किन्हीं अन्य खर्चों।

30. (1) परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट और लेखें इसके द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे और आगामी वर्ष के सितम्बर की समाप्ति से पूर्व संपरीक्षित करवाए जाएंगे: वार्षिक लेखें और संपरीक्षा।

परन्तु उद्गृहीत और संगृहीत फीस की प्राप्ति तथा खर्चों के लेखें, परिषद् द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में सम्यक् रूप से प्रमाणित किए जाएंगे।

(2) संपरीक्षा, नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से परिषद् द्वारा नियुक्त चार्टर्ड संपरीक्षक द्वारा की जाएगी और परिषद्, ऐसी संपरीक्षा की लागत वहन करेगी।

(3) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित परिषद् के लेखों के साथ-साथ उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट सरकार को प्रतिवर्ष भेजी जाएगी।

(4) सरकार, उपधारा (3) के अधीन परिषद् के लेखों के साथ-साथ उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट को विधान सभा के सम्मुख प्रतिवर्ष रखवाएगी।

31. (1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, नर्स अथवा नर्स-सेविका के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय न करना।

(2) कोई व्यक्ति जो इस धारा के उल्लंघन में कार्य करता है, तो दोषसिद्धि पर निम्नानुसार दंडनीय होगा,—

- (क) प्रथम अपराध के मामले में अवधि जो छह मास तक बढ़ाई जा सकती है के लिए कारावास से और ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है; और
- (ख) द्वितीय अथवा पश्चात्कर्ती अपराध के मामले में, अवधि जो एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी, के लिए कारावास से और ऐसे जुर्माने से जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा, जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अस्पताल संस्था
इत्यादि द्वारा
नियोजन।

32. (1) कोई भी औषधालय, अस्पताल, रूग्णावास, प्रसवाश्रय, आरोग्य निवास, आपरेशन थियेटर, नर्सिंगहोम ब्लड बैंक, चिकित्सा प्रयोगशाला अथवा अन्य समरूप संस्था तब तक किसी व्यक्ति का नियोजन नहीं करेगी, जब तक ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत नहीं किया जाता है।

(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

डिग्री इत्यादि के
अप्राधिकृत रूप
से प्रदान करने
पर प्रतिषेध।

33. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, यह कथित करते हुए या अर्थ लगाते हुए कि धारक, प्राप्तिकर्ता या प्रापक नर्स, नर्स-सेविका के रूप में व्यवसाय करने के लिए योग्य है, किसी भी व्यक्ति को कोई डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज अनुदत्त, प्रदान, जारी नहीं किया जाएगा अथवा स्वयं को अनुदत्त, प्रदान या जारी करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने, जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघना करने वाला व्यक्ति कोई संघ है, तो ऐसे संघ का प्रत्येक सदस्य जो जानते हुए या जानबूझकर उल्लंघना प्राधिकृत करता है अथवा अनुज्ञा देता है, तो दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

उपाधियों को
अप्राधिकृत रूप
से जारी करने
के लिए शास्ति।

34. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक अपने नाम के साथ कोई उपाधि, विद्या, या संकेत चिह्न नहीं लगाएगा जिसका अर्थ होगा कि उसने नर्स, नर्स-सेविका के रूप में व्यवसाय करने के लिए अपनी योग्यता के रूप में कोई डिग्री या डिप्लोमा अनुज्ञप्ति या प्रमाण-पत्र धारण किया है, जब तक,—

(क) उसने वास्तविक रूप से ऐसी वैध डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) ऐसी डिग्री, डिप्लोमा राज्य में उस समय लागू किसी विधि द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त या प्रदान या जारी नहीं किया गया है।

(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के मामले में, ऐसे जुर्माने, जो पचास हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से और द्वितीय या पश्चात्कर्ती अपराध की दशा में, ऐसे जुर्माने, जो दो लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा।

परिषदों के
सदस्यों,
अधिकारियों
इत्यादि का लोक
सेवक होना।

35. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त परिषद् का प्रत्येक सदस्य, सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860(1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 25 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।

सिविल न्यायालय
की अधिकारिता
का वर्जन।

36. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों में से किन्हीं का प्रयोग करते हुए, सरकार या परिषद् या कार्यकारी समिति या रजिस्ट्रार द्वारा किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की
गई कार्रवाई के
लिए संरक्षण।

37. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में सरकार या परिषद् या इसके सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सिविल न्यायालय
की शक्ति।

38. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् या रजिस्ट्रार को निम्नलिखित मामलों के संबंध में, ऐसे कृत्यों को करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के लिए सिविल न्यायालय में निहित हैं; अर्थात्:—

- (i) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और उसका शपथ पर परीक्षण करना;
- (ii) दस्तावेजों के अन्वेषण और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
- (iii) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (iv) साक्षियों के परीक्षण के लिए नोटिस जारी करना;
- (v) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं।

39. सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम, नियमों या इसके अधीन किए गए आदेशों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए परिषद् के कार्यकलापों, जैसा यह उचित समझे, से संबंधित परिषद्, कार्यकारी समिति या अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है और परिषद्, कार्यकारी समिति या अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्देश से बाध्य होगा।

निर्देश देने की शक्ति।

40. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभाव देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन किया गया कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

41. (1) परिषद्, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों से अन्वसंगत विनियम बना सकती है, अर्थात्:-

विनियम बनाने की शक्ति।

- (क) समय तथा स्थान जिस पर परिषद् तथा कार्यकारी समिति अपनी बैठक करेगी और रीति जिसमें ऐसी बैठक बुलाई जाएगी और आयोजित की जाएगी;
- (ख) कोर्सों और अध्ययन तथा लिए जाने वाले प्रैक्टिकल प्रशिक्षण की अवधि, परीक्षा के विषय और मान्यताप्राप्त योग्यताओं के मानक;
- (ग) ऐसे प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए किसी संस्था की मान्यता और परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को डिग्री, डिप्लोमा इत्यादि प्रदान करना;
- (घ) कोर्सों में प्रवेश के लिए पूरा किया जाने वाला न्यूनतम मानदण्ड और उम्मीदवारों के चयन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ङ.) संस्था में शिक्षा के लिए अमला, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के मानक;
- (च) व्यावसायिक परीक्षाओं का संचालन, परीक्षकों की योग्यताएं और ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें;
- (छ) व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानक और नर्सिज या नर्स-सेविकाओं द्वारा अनुपालित की जाने वाली नैतिक संहिता;
- (ज) योग्यताओं की मान्यता के लिए प्रक्रिया और शर्तें।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

(3) परिषद्, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, किसी विनियम को उपांतरित, संशोधित या रद्द कर सकती है।

42. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार निम्नलिखित हेतु उपबन्ध करने के लिए नियम बना सकती है:-

- (क) परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भुगतानयोग्य बैठक फीसें तथा अन्य भत्ते;
- (ख) रजिस्ट्रार की नियुक्ति का ढंग, योग्यता, वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें;
- (ग) रजिस्टर का प्रकार और इसमें दर्ज किए जाने वाले ब्यौरे;
- (घ) आवेदनों के प्ररूप और भुगतान की जाने वाली फीसें;
- (ङ.) जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्ररूप;
- (च) नवीकरण फीस तथा जुर्माने का भुगतान;
- (छ) उदगृहीत की जाने वाली फीस;
- (ज) परिषद् की निधि की अभिरक्षा और अनुषंगी मामले;
- (झ) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र, विधान सभा के सम्मुख रखा जाएगा।

अन्तः कालीन
उपबंध।

43. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1932 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रीकरण परिषद् कृत्य करना बन्द कर देगी।

(2) हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रीकरण परिषद् द्वारा कृत्य करना बंद करने के बाद, इसमें निहित सभी आस्तियां और इसके विरुद्ध अस्तित्वयुक्त सभी दायित्व इस प्रकार कृत्य करना बंद करने की तिथि से परिषद् को न्यागत हो जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रीकरण परिषद् द्वारा या के विरुद्ध संस्थित सभी वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां या जो उसके द्वारा या के विरुद्ध संस्थित की गई हैं, परिषद् द्वारा जारी रखी जा सकती हैं या के विरुद्ध संस्थित की जा सकती हैं।

(4) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम मई, 1971 से प्रारम्भ और इस अधिनियम के प्रारम्भ से समाप्त अवधि के दौरान भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम 48), पंजाब नर्सिज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1932 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन मान्यताप्राप्त हरियाणा नर्सिज रजिस्ट्रीकरण परिषद् द्वारा किए गए पंजीकरण के संबंध में की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किये जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी और उसे किसी विधि न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के सम्मुख प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।